न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 08 / 2026 / अपील

1 ब[illegible]ल पुत्र काना
2 हनुमानाराम पुत्र जीवण
3 भगवानी देवी पत्नी भींवाराम
4 भींवाराम पुत्र मुकनाराम
5 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भींवाराम
6 झाबरमल पुत्र अर्जुनलाल
7 मूलचन्द पुत्र अर्जुनलाल
8 कमला देवी पुत्री अर्जुनलाल
9 मन्जू पत्नी मूलचन्द
10 सुशीला देवी पत्नी झाबरमल
11 बक्सा पुत्र जीवण
12 भागूराम पुत्र नारायणसिंह
13 रघुनाथ पुत्र नारायणसिंह
14 महेश कुमार पुत्र नारायणसिंह
15 मुकेश कुमार पुत्र रामलाल
16 राजेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण माण्डोता तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

अपीलान्ट्स

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

बनाम

1 भू—धारक तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर ग्रामीण जिला सीकर
2 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध विभाजन आदेश दिनांक 23.12.2010 तहसीलदार सीकर जिसके द्वारा नामांतकरण संख्या 648 दिनांक 31.12.2010 स्वीकृत वर्तमान तहसील सीकर ग्रामीण

वकील अपीलांट श्री ताराचन्द यादव

निर्णय — दिनांकः—23.04.2026

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि वाके ग्राम बिडोली पटवार हल्का बिडोली, भू.अभि.नि. क्षेत्र दुजोद (वर्तमान माण्डोता) तहसील व जिला सीकर हाल तहसील सीकर ग्रामीण में कृषि भूमि अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 384 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नम्बर 385 रकबा 1.7500 हैक्टर, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.3900 हैक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 2.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 389 रकबा 1. 8400 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 3.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 393 रकबा 1.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 394

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

रकबा 2.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0. 8500 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0. 4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 4.7400 हैक्टर, खसरा नम्बर 402 रकबा 3.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 420 रकबा 1.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 422 रकबा 1.1100 हैक्टर, खसरा नम्बर 423 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 424 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 425 रकबा 1.0500 हैक्टर कुल किता 21 कुल रकबा 29.6500 हैक्टर है। जिनकी खातेदारी पूर्व में अपीलांट व उनके पूर्वज नारायण सिंह पुत्र जीवण, कोयली देवी पत्नी काना, बजरंगलाल पुत्र काना, मुकना बक्सा हनुमान पुत्रगण जीवण के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सम्वत 2065 से 2068 तक दर्ज चली आ रही थी तथा अपीलांट की उक्त भूमियों के अतिरिक्त इससे सटती हुई अन्य राजस्व ग्राम माण्डोता पटवार हल्का माण्डोता, तहसील व जिला सीकर हाल तहसील सीकर ग्रामीण में अवस्थित रही है। जिनके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। जबकि बिडोली की उक्त भूमि अपीलांट्स की पैतृक कृषि भूमि के रूप में कदीमी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट्स पीढि–दर–पीढि काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं। जो उपरोक्त सम्पदा पैतृक सम्पदा है। जिस पर अपीलार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित रहा है। उक्त भूमियों का प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के कैम्प ग्राम माण्डोता में अपीलार्थीगण के पूर्वज नारायण अनिल सिंह, मुकना, बक्सा, हनुमानाराम व बजरंग लाल द्वारा सहमति विभाजन करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहमति विभाजन का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त सहमति विभाजन के आवेदन को रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार भूमिधारी सीकर द्वारा कैम्प माण्डोता में प्रकरण संख्या 1037 दिनांक 23–12–2010 को दर्ज कर सहमति विभाजन के आदेश पक्षकारान की सहमति से जारी किए गए थे। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नामन्तरण संख्या 648 दिनांक 31–12–2010 को स्वीकृत कर दर्ज किया जा चुका है। उक्त सहमति विभाजन अपीलार्थीगण के पूर्वजों द्वारा जिस अनुरूप कैम्प प्रभारी तहसीलदार सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में मौका स्थिति का सही तरीके से अवलोकन नहीं करने के कारण खातेदारान को प्राप्त हुए रकबा को तो सही रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया परन्तु राजस्व नक्शे में त्रुटिवश उक्त खसरों की सही स्थिति का निर्धारण कब्जे काश्त के अनुरूप पटवार हल्का बिडोली, भू.अभि.नि. दुजोद के द्वारा नहीं किया हुआ है जिस कारण अपीलार्थीगण द्वारा किया गया विभाजन का मौका एवं कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे का वास्तविक मिलान नहीं हो पा रहा है तथा न ही सहमति विभाजन के आदेश में रास्तों की स्थिति व रास्तों के रकबों का निर्धारण किया हुआ है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में हुए अमल दरामद से पक्षकारान के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उक्त सहमति विभाजन के समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान के द्वारा अपनी भूमि का वास्तविक उपयोग करने की मंशा से करवाया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से मौका ए स्थिति का कब्जे काश्त के अनुसार बिना अवलोकन किए ही अवैध तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 648 दिनांकित 31–12–2010 को अवैध रूप से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार द्वारा सहमति विभाजन का नामान्तकरण खातेदारान की जोत में पहुंचने हेतु उक्त भूमियों में रास्तें की स्थिति दर्शित कर रास्ते का रकबा अलग से निर्धारित कर उक्त रास्ते के रकबे की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदारान के हिस्से में से कम की जाकर उक्त खातेदारी संयुक्त रूप से रास्ते के रूप में दर्ज कर सभी खातेदारान के नाम संयुक्त रखी जानी थी। उक्त स्थिति को भी सहमति विभाजन के वास्तविक नियमों को नजरंदाज कर नियमों के विरूद्ध नामान्तकरण भरा गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण व तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान द्वारा जो सहमति विभाजन का

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

आवेदन प्रस्तुत हुआ था, उक्त आवेदन के अनुरूप कब्जे के बारे में सही सही आंकलन किए बिना ही राजस्व नक्शे में सहमति विभाजन के आदेश का इन्द्राज किया हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलार्थीगण के सम्मुख रखे बिना बाला–बाला अपीलार्थीगण को बिना सूचना व जल्दबाजी में विभागीय लक्ष्य पूर्ण करने की मंशा से तस्दीक किया हुआ है जो नामान्तकरण करने के पूर्व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुरूप राजस्व नक्शे पर पक्षकारान के हस्ताक्षर पुराने खसरा नम्बरान से नये खसरा नम्बरान का अंकन किए बिना ही करवाए हुए होने के कारण भी अपीलाधीन नामान्तकरण अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 648 दिनांक 31.12.2010 को निरस्त किए जाने के आदेश फरमावे।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस अंतिम सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांटान द्वारा अपनी पैतृक कृषि भूमि का बंटवारा करवाया गया जिसमें योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा मौका स्थिति के विपरित बंटवारा आदेश पारित कर दिया गया एवं बंटवारा आदेश एवं नक्शे में खातेदारान के आने जाने हेतु रास्ते की भूमि का कोई अंकन नहीं किया गया जबकि समस्त खातेदारान को अपने हिस्से की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता का अंकन करते हुए बंटवारा आदेश पारित किया जाना चाहिए था। वादग्रस्त आराजियात से बाबत सम्बंधित समस्त खातेदारान सहमत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा किया गया बंटवारा आदेश एवं अपीलाधीन नामांतकरण को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात का अवलोकन करने पर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजियात का प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 के दौरान दिनांक 23.12.2010 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बंटवारा आदेश के सलंग्न नक्शे का अवलोकन करने पर उक्त नक्शे में रास्ते की भूमि का कोई अंकन नहीं किया गया है एवं बंटवारा आदेश में भी रास्ते की भूमि का कोई अंकन नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस उक्त अपीलाधीन बंटवारा आदेश सहखातेदारान की मौका स्थिति के विपरित जाकर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया एवं समस्त खातेदारान सहमत होने बाबत निवेदन किया गया। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस किये गये कथनों के आधार पर अपीलाधीन बंटवारा आदेश मौका स्थिति के विपरीत होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं योग्य अधिनस्थ तहसीलदार सीकर द्वारा वादग्रस्त आराजियात के बाबत पारित बंटवारा आदेश दिनांक 23.12.2010 एवं बंटवारा के आधार पर तस्दीक नामांतकरण संख्या 648 दिनांक 31.12.2010 को इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सीकर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात के बाबत मौका स्थिति की विधिवत जांच करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति में विधिसम्मत बंटवारा किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर